न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 70/2024

वादीगण :-

1. लादूराम पुत्र मांगीलाल
2. बुधाराम पुत्र मांगीलाल
3. किशोर पुत्र मांगीलाल
4. शैतानराम पुत्र मांगीलाल
5. मंजू पत्नी अशोक जातियान बावरी निवासीगण कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जैनाराम पुत्र राणाराम
2. गोरधन पुत्र राणाराम
3. सहीराम पुत्र बादरराम
4. कैलाश पुत्र बादरराम
5. रामस्वरूप पुत्र बादरराम
6. महावीर पुत्र बादरराम
7. सुरेन्द्र पुत्र बादरराम
8. गणपतराम पुत्र पुरखाराम
9. जालाराम पुत्र पुरखाराम
10. बगदाराम पुत्र मुल्तानराम
11. मदनलाल पुत्र मुल्तानराम
12. सुखाराम पुत्र मुल्तानराम
13. दुडाराम पुत्र गुलाबराम
14. मनोहर पुत्र भागीरथ जातियान बावरी निवासीगण कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण सं. 1 से 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादीगण सं. 15 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 20/01/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कापरडा, तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादीगण की रेकर्डेड खातेदारी की है। वादीगण इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। दिनांक 02.06.

कलक्टर
ड अधिकारी
लाडा

2024 को वादीगण ने अपनी खातेदारी, स्वामित्वशुदा, तरमीमशुदा की भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में सूड़ का कार्य करने हेतु अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेत मे गये तो इतने में प्रतिवादीगण वादीगण के खेत के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन खेत में काश्त कार्य करना शुरू कर दिया, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को ओलबा दिया और कहा कि खेत हमारी खातेदारी का है, आपको हमारे खातेदारी भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी देते हुए कहा कि हमारी मनमर्जी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि खेत हमारी रेकर्डेड खातेदारी का है, इस खेत का आपका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इतमें में प्रतिवादीगण तथा उनके परिवार के सदस्य ने वादीगण के साथ मारपीट कर धक्का धूम देना शुरू कर दिया और धमकी दी कि धारदार हथियार से हमला कर जान से मार देगें। वादीगण ट्रैक्टर लेकर अपने घर पर आ गये एवं घटना की जानकारी अपने रिश्तेदार एवं गांव वालों को बतायी, जिस पर ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने प्रतिवादीगण को बुलाया और समझाया, फिर भी प्रतिवादीगण नही माने तो वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 06.06.2024 को पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन प्रतिवादीगण की राजनैतिक पहुँच के कारण रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया। दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्तशुदा की है, जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज तौर से कब्जा करने की नियत से जमीन में काश्त कार्य करना शुरू कर वादीगण की खातेदारी अधिकारो एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग ने बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी है, इस कारण वादीगण का अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है, अगर प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से एवं काश्त करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादीगण को पूरा अधिकार है जबकि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नहीं है प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण को काश्त नही करने देने की धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। वाद कारण दिनांक 02.06.2024 को प्रतिवादीगण ने यादीगण की स्वामित्वशुदा, तरमीमशुदा, कब्जासुदा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खासरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में

कलक्टर
अधिकारी
ड़ा

नाजायज तौर से प्रवेश कर दखलन्दाजी पैदा करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम कापरडा तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम कापरडा तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में वादीगण के स्वामित्वशुदा, तरमीमशुदा, कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल हस्तक्षेप करे तथा न अन्य मजदूर, एजेण्ट इत्यादि से करावें तथा न ही प्रतिवादी सं. 1 से 14 वादीगण की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 5 से 14 की ओर से पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 5 से 14 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 4 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 15 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खंडन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम कापरडा की भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में वादीगण रेकर्डेड सहखातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादीगण को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का वादीगण की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से

महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- आदेशः-

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम कापरडा की भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलयुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

बनाम

वादी	**प्रतिवादीगण**
लादूराम	जैनाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 70/2024

निर्णय **दिनांक :-** 29/01/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 15 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम कापरडा की भूमि खसरा नम्बर 622/3 रकबा 2.8315 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 667/3 रकबा 2.9124 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 700/3 रकबा 3.8832 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा